

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांक:फा.(02)/H&T/लेखा/2020-21/6193-6250
संशोधन परिपत्र

दिनांक: 17.03.2021

उप पंजीयक,
सहकारी समितियाँ,

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-2022(अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022) में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य की दरों के निर्धारण/प्रक्रिया बाबत।

प्रसंग:-पूर्व पत्र क्रमांक:फा(02)/H&T/लेखा/2020-21/5658-5717 दिनांक 22.02.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासांगिक पत्र से समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य के लिये ई-निविदा करने हेतु निर्देश भेजे गये थे। निर्देश पत्र की शर्त संख्या-9(3) के अनुसार अर्नेस्ट मनी(बिड सिक्यूरिटी) 2 प्रतिशत लेने हेतु शर्त अंकित है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार वित्त विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 18.12.2020 से आर.टी.पी.पी. एक्ट के नियम संख्या-42 में यह संशोधन किया है कि अर्नेस्ट मनी (बिड सिक्यूरिटी) के स्थान पर बिड सिक्यूरिटी घोषणा पत्र भी लिया जा सकता है। साथ ही यदि किसी खरीद केन्द्र पर 10.00 लाख से कम का अनुमानित कार्य (हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य) है तो आर.टी.पी.पी. एक्ट, 2013 के नियम 16(2) के अनुसार ई-निविदाएँ ई-प्रोक्योमेंट पर नहीं की जाकर सीमित निविदा प्रक्रिया आर.टी.पी.पी. एक्ट के नियमानुसार एस.पी.पी.पी. पोर्टल पर अपलोड कर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

(प्रीति शर्मा)

महाप्रबन्धक(वित्त एवं लेखा)

प्रतिलिपि:-

- 1- निजी सचिव, प्रबन्ध संचालक, राजफैड, जयपुर।
- 2- अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/जयपुर/उदयपुर/भरतपुर।
- 3- महाप्रबन्धक(वाणिज्य) राजफैड, जयपुर।
- 4- शाखा प्रबन्धक, नेफैड, जयपुर।
- 5- क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड-अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/कोटा/जोधपुर/श्रीगंगानगर/जयपुर/उदयपुर।